

आयालय श्रीमान् सहस्रीलाल सहस्रीलाल लोधी सुल्तानपुर (म.प्र.)
क्रमांक 1929 /वी/121/सन् 06-07 26/6/07

मध्य प्रदेश

स्थायी निवास प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि, श्री/श्रीमती/कुमारी देबेनु कुमारी वर्मा
आत्मज/पति/आत्मजा की श्रीमती देबेनु वर्मा ग्राम पीरा
तहसील लाडी जिला सुरपुर मध्यप्रदेश का निवासी है।

क्योंकि वह-

- 1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है अथवा-
- 2. वह पालक वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है अथवा-
- 3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा-
- 4. केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो म०प्र० में सेवारत है अथवा-
- 5. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति या व्यवसाय रखते हैं, अथवा-

हाँ
हाँ

अवेक डीएल के निर्माण विभाग से मांग प्रस्ताव न हूँ प्रमाणित किया है
0-248 डी. गान पीरा में स्थित है

इसके अतिरिक्त-

- 1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है अथवा-
- 2. उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्न लिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है, अथवा-

हाँ
हाँ

- (क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा-
- (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा-
- (ग) पाँचवीं कक्षा की परीक्षा-

श्रीमती देबेनु वर्मा के लिए प्रमाणित पत्र संख्या 2

सिद्धांत
श्रीमती देबेनु वर्मा

श्रीमती देबेनु वर्मा
श्रीमती देबेनु वर्मा

टिप :- जो लागू न हों उसे काट दिया जावे

देवेन्द्र वर्मा
सकल्यारि